राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन,(करौली)
जिला - करौली

जाति प्रमाण - पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /18148504428
दिनांक:22-10-2018
आवेदक का आधार नम्बर :453540180596
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : 1067-HMCZ-21210

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल पुत्र/पुत्री श्री विजेंद्र गांव/नगर विजेंद्र, खेड़ी हेवत, हिण्डौन, करौली जिला/डिवीज़न करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 17 JATAV (17 जाटव) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री विमल गांव/नगर विजेंद्र, खेड़ी हेवत, हिण्डौन, करौली जिला / डिवीज़न करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता / रहती है।

नोट
1. यहां प्रयोग आशयित: जिसकी का अर्थ वही होगा जो उस प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।

2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.सी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र निर्वाचक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र प्रतिरद्द किया जा सकेगा।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजों जिसे के सम्बन्धित ग्रहण अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 180154518633

उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन,(करौली)

Signature valid
Digitally signed by SURESH KUMAR BUNKER
Date: 2018.10.22 15:40:07 +05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

e-Mitra ई-मित्र राजस्थान सरकार